



पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ भारत
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Chhattisgarh, India
Estd-1964 – recognized by UGC U/s 2(f) and 12 (B)
NAAC “A” Grade

EXTENDED PROFILE

EVIDENCE(S), AS PER SOP

METRIC No. 4.2	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State Govt. rule during the year
	<ul style="list-style-type: none">• Number of seats reserved for each of the programmes during the year duly certified by the appropriate authority• Copy of Prospectus showing reservation policy for admission• Documents showing the State Government reservation policy for admission



पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ भारत
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Chhattisgarh, India

Estd-1964 – recognized by UGC U/s 2(f) and 12 (B)

NAAC "A" Grade

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/ State Govt rule year wise during last five years						
2020-2021						
Programme name	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule					
	SC	ST	OBC	Divyangjan	Gen	Others
M.A.- Master of Arts Ancient Indian History, Culture &	2	5	2	0	5	1
M.A./ M.Sc.- Master of Arts/ Master of Science Anthropology	4	9	4	1	11	1
M.Sc.- Master of Science Biotechnology	2	5	2	1	5	5
M.Sc.- Master of Science Chemistry	4	11	5	1	38	1
M.A.- Master of Arts Applied Philosophy & Yoga	4	10	4	1	11	0
M.C.A.- Master of Computer Applications	7	19	9	2	23	0
M.Sc.- Master of Science (IT)	3	8	4	1	7	2
M.A.- Master of Arts Economics	5	13	6	1	12	3
M.Sc.- Master of Science in Electronics	3	8	3	1	9	0
M.Tech.- Master of Technology in Optoelectronics & Laser	2	6	3	1	8	2
M.Sc.- Master of Science Environmental Science	2	3	3	1	15	1
M.A./M.Sc.- Master of Arts/Master of Science Geography	8	16	7	2	17	0
M.Sc.- Master of Science Geology	2	5	2	0	7	0
M.A.- Master of Arts History	2	5	2	0	6	0
LL.M.- Master of Law Constitutional and Administrative Law,	5	14	6	1	17	2
M.Lib. & I.Sc.- Master of Library Science Library and	2	6	2	1	9	0
M.Sc.- Master of Science Bioscience	2	5	2	0	6	1
M.Sc.- Master of Science Microbiology	2	5	2	0	5	0
M.Sc.- Master of Science Biochemistry	1	4	2	0	5	0
M.A.- Master of Arts Linguistics	2	6	3	1	6	2

M.A.- Master of Arts Hindi	2	6	3	1	6	2
M.A.- Master of Arts English	4	10	4	1	9	2
M.A.- Master of Arts Chhattisgarhi	5	13	6	1	13	2
M.B.A.- Master of Business Administration	7	19	8	2	24	0
M.Sc./M.A.- Master of Science/Master of Arts Mathematics	6	15	7	1	17	2
M.Pharm.- Master of Science Pharmacy Pharmaceutics	1	4	2	0	5	0
M.P.Ed.- Master of Physical Education	4	10	4	1	11	0
M.Sc.- Master of Science Physics	5	13	6	1	15	0
M.A.- Master of Arts Psychology	4	14	6	1	15	0
M.A.- Master of Arts Rural Development	2	5	2	0	6	0
M.A.- Master of Arts Sociology	5	14	7	1	13	0
Master of Social Work	4	10	5	1	10	0
M.A./M.Sc.- Master of Arts/Master of Science Statistics	4	11	5	1	9	0
M.Ed.- Master of Education	6	16	7	1	20	0
I.M.Sc.- Integrated Master of Science (Physics/ Chemistry/	4	12	6	1	17	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy AIHCA	1	3	0	0	1	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Anthropology	2	6	1	0	5	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Biotechnology	2	6	2	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Chemistry	2	9	3	1	3	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Comparative Religion and	1	2	0	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Computer Science & IT	0	4	1	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Economics	2	6	2	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Electronics	1	6	1	0	3	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Environmental Science	0	0	0	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Geography	2	6	2	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Geology	2	4	2	0	8	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy History	1	5	3	0	7	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Law	4	12	4	1	14	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Library Science	1	3	1	0	3	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Bioscienc	3	9	4	1	9	1
Ph.D.- Doctor of Philosophy Microbiology						
Ph.D.- Doctor of Philosophy Biochemistry						
Ph.D.- Doctor of Philosophy Zoology						

Ph.D.- Doctor of Philosophy Linguistics	1	3	1	0	4	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Hindi	0	0	0	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy English	0	0	0	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Management	1	6	0	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Mathematics	0	2	2	0	2	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Pharmacy	4	10	4	1	13	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Physical Education	1	3	1	0	4	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Physics	0	3	2	0	5	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy in Psychology	5	15	5	1	14	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Regional Studies	0	0	0	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Sociology	0	0	1	0	0	0
Ph.D.- Doctor of Philosophy Statistics	1	1	2	0	2	0
B.A.!L.B.- Bachelor of Arts - Bachelor of Legislative Law	10	26	11	2	28	3
B.Lib. & I.Sc.- Bachelor of Library Science Library and	4	11	5	1	14	0
B.Pharm.- Bachelor of Pharmacy	7	19	9	2	26	0
B.P.Ed.- Bachelor of Physical Education	6	16	7	1	20	0
B.Ed.- Bachelor of Education	6	16	7	1	20	0
B.Voc.- Bachelor of Vocation in Renewable Energy Technology	6	16	7	1	20	0
P.G. Diploma Tourism & Hotel Management	3	8	4	1	7	2
P.G. Diploma in Forensic Science	1	2	2	0	5	0
P.G. Diploma Yoga Education & Philosophy	7	19	8	2	24	0
P.G. Diploma in Remote Sensing & GIS	1	3	1	0	5	0
P.G. Diploma in Applied Hydrogeology	1	3	1	0	5	0
P.G.C.- Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling	4	11	5	1	14	0
P.G.D.R.P.- Post Graduate Diploma in Rehabilitation Counselling	1	3	2	0	4	0
P.G. Diploma in Regional Planning & Development	1	3	1	0	5	0
Diploma in European and Asian Languages English	4	10	4	1	9	2
Diploma in European and Asian Languages French	4	10	4	1	9	2
Diploma in National Language Sindhi	4	10	4	1	9	2


11.3.22

REGISTRAR
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (Chhattisgarh)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़

स्थापना : 1 मई, 1964



विश्वविद्यालय-अध्ययन शालाओं में प्रवेश के लिए

विवरण-पत्रिका

2020 – 21

Accredited by NAAC with 'A' Grade

क्रमांक

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्थापना : 1 मई, 1964

www.prsu.ac.in

Accredited by NAAC with 'A' Grade



विश्वविद्यालय-अध्ययनशालाओं में प्रवेश के लिए

विवरण-पत्रिका

2020 - 21

प्रकाशक

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़) 492010

संपर्क

कुलसचिव कार्यालय : 0771-2262540, कुलानुशासक : 94242-15539, यौन उत्पीड़न : 94255-15951, छात्र कल्याण : 96165-57777

विश्वविद्यालय का कुल-चिह्न



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल-चिह्न के मध्य भाग में रायपुर जिले में स्थित राजिम के विख्यात राजीवलोचन मंदिर का संपूर्ण शिखर है, जो छत्तीसगढ़ (प्राचीन दक्षिण कोसल) की वैभवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को द्योतित करता है।

उगता हुआ सूर्य वेदांती विचारधारा की प्रजापति-विद्या तथा संवत्सर-विद्या के उत्कृष्ट ज्ञान का प्रतीक है।

शिखर के दोनों ओर तरंगित रेखाओं का अंकन छत्तीसगढ़ की गंगा-महानदी (प्राचीन चित्रोत्पला) का प्रतीकात्मक चित्रण है।

शिखर के निम्नार्ध भाग में बाईं ओर दाईं ओर अर्धवृत्ताकार रूप में फैली हुईं गेहूँ और धान की बालियाँ कृषि को छत्तीसगढ़वासियों के आर्थिक जीवन का आधार सिद्ध करती हैं तथा उनसे इस क्षेत्र की सभ्यता का ग्राम्य प्रकृति का होना प्रकट होता है।

ये सभी प्रतीक एक बड़े वृत्त से घिरे हुए हैं, जो भूमंडल का चिह्न है। इस वृत्त में विश्वविद्यालय का नाम नागरी और रोमन वर्णों में लिखा हुआ है, जो बाईं से दाईं ओर बढ़ता हुआ केंद्रीय वृत्त को चारों ओर से घेरे हुए है।

बड़ा वृत्त पंखाकृति के कोनों वाले एक अर्धवृत्ताकार पादपीठ पर आधारित है। इस पादपीठ की अभिरचना हंस की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जो भारतीय चिंतन में उत्कृष्ट ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। इस पर विश्वविद्यालय की आदर्शोक्ति नागरी वर्णों में अभिलिखित है, जिसका चयन ऋग्वेद के अग्निसूक्त से किया गया है।

यह उक्ति है "अग्ने नय सुपथा राये," जिसका अनुवाद इस प्रकार है—

"हे अग्नि ! हमें अच्छे मार्ग से समृद्धि की ओर ले चलो।"

विश्वविद्यालय का कुलगीत



सत्य-शिव-सुन्दर से अभिमंत्रित सुहावन
ज्ञान का, विज्ञान का यह तीर्थ पावन
विश्व भर की चेतना का स्वर बने
पावनी विभ्रोत्पला-सिंचित धरा पर-
कृषि-खनिज-वन संपदा का उन्नयन कर-
यह नवल इतिहास का यश-धर बने।
विश्व भर की चेतना का स्वर बने
शोध नित विज्ञान का हर पक्ष सत्वर-
डालता गंतव्य में नव नीव-प्रस्तर,
नव्य शोधित ज्ञान जन-हितकर बने।
विश्व भर की चेतना का स्वर बने
सांस्कृतिक शुभ संपदा-संयुत तमोहर-
चल रहा पथ पर प्रगति के यह निरंतर,
विश्व की रजनी में यह दिनकर बने।
विश्व भर की चेतना का स्वर बने

रचनाकार-
डॉ. जीवन यदु "यही"
खैरागढ़

गायन एवं संगीतबद्ध -
डॉ. सुनीता भाले, एसो. प्रोफे. (गायन)
एवं उनकी टीम
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़



डॉ. केशरी लाल वर्मा
कुलपति



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर 492 010 (छत्तीसगढ़)

संदेश

प्रिय प्रवेशेच्छु छात्र-छात्राओ,

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आप का स्वागत है। हर्ष के साथ आप को अवगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 3.02 CGPA के साथ हमारे विश्वविद्यालय को 2016-2021 के लिए 'ए' ग्रेड प्रदान किया है। देश भर के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) के तहत संस्थानों की रैंकिंग 2019 जारी की, जिस में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंक बैंड 150-200 में स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान को देश में 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

01 मई 1964 को अपनी स्थापना से लेकर 56 वर्षों के सुदीर्घ शैक्षणिक यात्रा में 05 अध्ययनशालाओं से शुरुआत होकर आज 28 अध्ययनशालाओं के साथ संचालित हमारा विश्वविद्यालय युवाओं के सुनहरे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में सदैव सचेष्ट रहा है। परंपरागत विषयों के अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन केंद्र (NCNR) एवं मूलविज्ञान केंद्र हमारे परिसर में आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं, जहाँ मूलभूत विज्ञान को बढ़ावा देने के साथ-साथ भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों का एक समूह तैयार किया जा सके। उच्च-शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से करना है, जिस से हम ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के दिन-प्रति-दिन के विकास के साथ कदम मिला सकें। इस के निहितार्थ हमारे परिसर में विषय-विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं संगोष्ठियाँ, केंद्रीय ग्रंथालय में पर्याप्त मात्रा में संदर्भ-ग्रंथ, पाठ्य-पुस्तकें, शोध-पत्रिकाएँ, तथा इंटरनेट सुविधाएँ छात्रों को आसानी से उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय ग्रंथागार के e-journals तथा e-books के पठन हेतु common login credentials का निर्माण किया गया है, एवं शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है। जिसका उपयोग कर शोधार्थी तथा छात्र-छात्राएँ कहीं से भी ग्रंथागार के पठन सामग्रियों का लाभ ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'मोर पाठशाला' (Mor Paathshala) नाम से वेबपार्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर अपना पंजीयन कर के इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियों में गुणवत्ता की दृष्टि से परिसर में E-Connectivity, Internet सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि वर्ष 2018 एवं 2019 की तरह पुनः वर्ष 2020 में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोविज्ञान विषय के लिए इस विश्वविद्यालय को National Resource Centre (NRC) घोषित किया गया है, जिस के माध्यम से मनोविज्ञान विषय की Online Teaching Learning सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

इस उपलब्धि के साथ आप के हाथों में जो विवरण-पत्रिका है, उस में एक झलक है उन पाठ्यक्रमों की जिस के शिक्षण की सुविधा हमारे विश्वविद्यालय द्वारा आप को शैक्षणिक सत्र (2020-21) में दी जाने वाली है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाएँ एवं अधोसंरचना की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध है।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। अनेक पाठ्यक्रमों में वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर परीक्षा पद्धति अपनाई गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, M.Phil./Ph.D. में प्रवेश के लिए यू.जी.सी. के निर्देश एवं मापदंड के अनुरूप प्रवेश-परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार का यह प्रयास है कि वह अपने अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विद्वान प्राध्यापकों के सानिध्य में आधुनिकतम शिक्षण-प्रणाली, उत्कृष्ट उपकरणों, तथा केंद्रीय ग्रंथागार के माध्यम से विश्वस्तरीय शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा National Academic Depository (NAD) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें छात्र/छात्राओं के सभी तरह के Academic Record, जैसे- Certificate, Degree, Marksheet, आदि Digital Safe Electronic Store हेतु 24x7 समय उपलब्ध रहेगा। परीक्षा एवं प्रवेश हेतु सभी छात्र/छात्राओं का NAD की पंजीयन संख्या होना आवश्यक है। प्रवेशित छात्र-छात्राएँ अकादमिक गतिविधियों की जानकारी के लिए अध्ययनशाला के अध्यक्ष/शिक्षक से मोबाईल, ई-मेल, व्हाट्स-अप, आदि के माध्यम से संपर्क में रहकर तथा विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाईट www.prsu.ac.in का अवलोकन करते रहें।

विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन से लेकर परिणाम तक ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाई गई है। उपाधि हेतु आवेदन-पत्र, ट्रांसक्रिप्ट, प्रवजन प्रमाण-पत्र, पात्रता प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, नामांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सुविधा को दृष्टिगत रख कर ऑनलाईन शिकायत का त्वरित निवारण किया जा रहा है।

मैं आप के मनोभाव को समझता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उच्च-शिक्षा में अग्रणी हमारी संस्था में प्रवेश पाने में आप सफल होंगे।

प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है, जिस से हम अपने सपनों का भारत निर्मित करने में योगदान कर सकें। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस विश्वविद्यालय परिसर में आप सहभागी बनें।

आप का भविष्य उज्ज्वल एवं मंगलमय हो।

18 मई, 2020



(डॉ.केशरी लाल वर्मा)

(B) Reservation :

12% seats for Scheduled Castes, 32% seats for Scheduled Tribes, 14% seats for Other Backward Classes and 3% seats for the Physically Handicapped are reserved (Except Physical Education). 3% seats for the dependents of the freedom fighters are reserved as per the rules of the Chhattisgarh State. If seats for the aforesaid categories are vacant, then they will be allotted to other eligible applicants. Out of all these categories 30% seats are reserved for women applicants. It is necessary to attach certificates from competent authority along with the application for reserved seats. (Note-Subject to change as per C.G. Government)

Disabilities -

- (i) Reservation of 5% seats for person with benchmark disabilities.
- (ii) Upper age relaxation for 5 years for admission for the person with benchmark disabilities.

The following concessions will be provided to the kashmiri migrant students during the academic session 2020-21 (Ref.- Approved by the

MHRD)

- (i) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

- (ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.
- (iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/ professional institutions.
- (iv) Waiving off domicile requirements.

(C) Criteria of selection :

Selection of Students will be based on results of the entrance examination conducted separately by each UTD/ Group of Departments.

- (i) Admission in the professional courses, viz., M.B.A., M.C.A, M.Tech. in Optoelectronics & Laser Technology, B. Pharm., M. Pharm. and B. Ed., B.P.Ed., M.P.Ed., P.G.D.R.P. will be as per guidelines of the State Govt./ Central Council (Statutory Council) of the subject concerned and rules of the university.
- (ii) While preparing the above said merit list relaxation of 5 percent marks in the aggregate shall be given to students belonging to SC/ST/OBC.
- (iii) For admission to P.G. Courses students, who have passed their graduation after 2006, will have to pass in the Environmental Studies
- (iv) School of studies are free to admit those students of other states who have obtained 75% or above marks in the qualifying examination by increasing upto 20% of the existing number of seats.
- (v) School of studies are free to admit those students of other countries who qualify the eligibility for admission by increasing up to 20% the existing number of seats.
- (vi) Admission after Medical Fitness Verification (for Physical Education).

Note : Any applicant desirous of seeking admission to such a subject at P.G. Level, for which he did not opt during graduation level, might be admitted only after all students figuring in the above said merit list have taken admission and seats are still vacant.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 2270 /अका./2021

रायपुर, दिनांक : 24 /07/2021

प्रति,

- (1) अध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशाला,
- (2) संचालक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- सत्र 2021-22 के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, रायपुर के पत्र क्र. 1684/214/आजशि/सम/2021
दिनांक 14.07.2021.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश मार्ग
दर्शिका सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न कर, आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर
अग्रेषित है।

संलग्न :- प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

आदेशानुसार,


24.7.21
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 2271 /अका./2021

रायपुर, दिनांक : 24 /07/2021

प्रतिलिपि :-

कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1684/214/आउशि/सम./2021

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14-07-21

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दात जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 03.07.2021।

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दात जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दात 2021-22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दात 2021-22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14-07-21

पृ.क्रमांक 1685/214/आउशि/सम./2021

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय:-

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

No. L-201	22	VMS
AD (K)	JDI	DD
Section	Office	
Date	6 JUL 2021	C.H.E.

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ- आपका ज्ञापन क्रमांक 1583/214/आजशि/सम/2021 दिनांक 16.08.
2021

-----00-----

2/ विषयातर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।
कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(ए.अरि. खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल
नगर, रायपुर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय

09/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021-22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर
कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2021-22

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस

भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय

परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 3

(क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा



किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन" द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या व. व. सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कम से कम एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेना होगा। बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.—सी./एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -
 1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्ववर्ष में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारम्भ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण-पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलामकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रीय गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर के प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व के परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा कि किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तत् महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्ग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य दिया जावेगा।
9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।



महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग व आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इसे हेतु समिति गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एव एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में फेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/माहि आदि आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। नि:शक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकर्ता के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि सकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्जिगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-

(क) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबंध में क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वार आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

3 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

27 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटेन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कॅडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कॅडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कॅडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कॅडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत

- करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

- 15 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/सामोस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरे बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रार्थना करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी।
ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/सकाय की मूल
पुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाये
पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशासना पर
प्राचार्य इस समयवधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन
करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया
जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय
में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही
अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप
में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह के
कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन
आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति
में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध
आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस
महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ
सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा
कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को
निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या
अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य
को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में
लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को
होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त
होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सुरक्षित निधि के अतिरिक्त
अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के
आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए
स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी
किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च
शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/सशोधन/निरसन
/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।